बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 107.

प्रेषक,

ऋषि कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,

मधुबनी। पटना, दिनांक–06/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी में विद्युत कनेक्शन हेतु **विद्युत प्रभार मद में कुल राशि** रु० **4,56,698/– (रु० चार लाख छप्पन हजार छः सौ अंठानवें) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्युत कार्यालय अभियंता, विद्युत आपुर्ति प्रमण्डल, झंझारपुर के पत्रांक–1596, दिनांक–14.08.2026 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भपटियाही, घोघराडीह, फुलपरास मधुबनी में 11 KVA भार का नया विद्युत कनेक्शन (सुपरविजन चार्ज, लेवर कोस्ट एवं GST शुल्क सहित) हेतु प्राकलित राशि रू० 4,56,698/–(रू० चार लाख छप्पन हजार छः सौ अंठानवें) मात्र के आलोक में जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी का पत्रांक–412, दिनांक–28.09.2026 द्वारा विद्युत मद में कुल राशि रू० राशि रू० 4,56,698/–(रू० चार लाख छप्पन हजार छः सौ अंठानवें) मात्र का अधियाचना उपलब्ध कराया गया है।

2–उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रु० 4,56,698/– (रु० चार लाख छप्पन हजार छः सौ अंठानवें) मात्र का आवंटन इस शर्त के साथ किया जाता है कि यदि उक्त विद्यालय निर्माण के प्राक्कलन में उक्त कार्य के सम्मिलित होने के संबंध में जाँच करते हुए कार्रवाई किया जाय।

3–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 13.04 विद्युत प्रभार इकाई में विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–277–0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी होंगे। विद्युत प्रभार मद में आवंटित राशि का व्यय जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–412, दिनांक–28.09.2026, के आलोक में किया जायेगा।

4–आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5–इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6–इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

06/10/2026

(ऋषि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— पि०व०/बजट—30—02/2015 (खण्ड—II)— 107. पटना, दिनांक—06/10/2026.

प्रतिलिपि—(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/ उप विकास आयुक्त, मधुबनी/प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/अनुमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी/प्रधानाचार्य, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS 2.0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।